**भारत सरकार**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 2239 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

**जल वाहक योजना**

**†2239. श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

**क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार देश में कार्यरत कार्गो मालिकों की संख्या संबंधी आंकड़े रखती है, यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जल वाहक योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पंजीकृत एवं अनुमोदित कार्गो मालिकों की राज्य-वार संख्या क्या है और अब तक लाभार्थियों को कितनी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी अनुसूचित सेवाएँ संचालित की जा रही हैं और ऐसी सेवाओं के लिए कुल कितने पोतों का परिचालन हो रहा है;

(घ) क्या सरकार इन अनुसूचित सेवाओं के लिए पोतों की उपयोग क्षमता तथा प्रति यात्रा लगने वाली औसत लागत की निगरानी कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) योजना के दोनों घटकों के अंतर्गत कार्गो मालिकों से प्राप्त फीडबैक तथा जल वाहक योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जलमार्गों एवं मार्गों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) और (ख):** देश में प्रचालित कार्गो मालिकों का आंकड़ा केंद्र में नहीं रखा जाता। जलवाहक योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पंजीकृत और अनुमोदित कार्गो मालिकों की संख्या क्रमशः12 और 7 हैं। पश्चिम बंगाल में छह, असम में चार, उत्तर प्रदेश और झारखंड प्रत्येक में एक- एक कार्गो मालिक पंजीकृत हैं। अब तक कोई भी प्रोत्साहन वितरित नही किए गए हैं क्योंकि उपर्युक्त संस्थाओं में से किसी ने भी कार्गो आवाजाही के लिए कोई दावा प्रस्तुत नही किया हैं।

**(ग):** जलवाहक योजना के तहत, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से वाराणसी और कोलकाता के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 पर, और कोलकाता और पांडु, गुवाहाटी (रा.ज.-2) के मध्य निर्धारित सेवाएं संचालित की जा रही हैं। निर्धारित सेवाओं के तहत, आठ अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) जलयान वर्तमान में प्रचलित हैं।

**(घ):** निर्धारित सेवाओं के लिए जलयान की औसत क्षमता उपयोग और प्रति यात्रा औसत लागत निम्नानुसार है:

| स्थान जिसने मध्य प्रचालन हेतु सेवाएं निर्धारित हैं | पोत की औसत क्षमता उपयोग (प्रतिशत में) | प्रति यात्रा औसत लागत (रूपये में_ |
|---|---|---|
| कोलकाता और वाराणसी | 79.34 | 21,43,968 |
| कोलकाता और पांडु(गुवाहाटी) | 71.05 | 33,31,957 |

**(ङ):** टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिड़ला व्हाइट सीमेंट और स्टोन एग्रीगेट के कार्गो मालिकों से निर्धारित सेवाओं पर प्राप्त प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। उन्होंने संकेत दिया कि रा.ज.-1 और रा.ज.-2 पर निर्धारित सेवाओं ने आईडब्ल्यूटी में विश्वास बढ़ाया है और व्यापार की पुनरावृत्ति को सुविधाजनक बनाया है। हालांकि, कार्गो मालिकों के लिए प्रोत्साहन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि आवाजही के लिए कोई दावा नहीं किया गया है।

**(च):** 2025-26 के दौरान, रा.ज.-1 और रा.ज.-2 पर निर्धारित सेवाओं के कार्य निष्पादन प्रदर्शन ने कार्गो मात्रा में वृद्धि दर्ज की है और यह 16,800 टन के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 104.7% की वृद्धि दर्शाता है।

*****